



उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग  
हरिद्वार  
पिन कोड- 249404

संख्या :: 84 /10/DR/E-2/Civil Judge/2022-23

दिनांक :: 22 जून, 2023

विज्ञप्ति  
उत्तराखण्ड न्यायिक सेवा सिविल न्यायाधीश परीक्षा-2023

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि विज्ञापन संख्या- 10/DR/E-2/Civil Judge/2022-23 दिनांक 01 मार्च, 2023 द्वारा उत्तराखण्ड न्यायिक सेवा सिविल न्यायाधीश परीक्षा-2023 के अन्तर्गत विज्ञापित 16 पदों के सापेक्ष दिनांक 30 अप्रैल, 2023 को आयोजित प्रारम्भिक परीक्षा का परिणाम, विज्ञप्ति संख्या-69/07/सि0न्याया0/G-2/2023-24, दिनांक 29 मई, 2023 द्वारा घोषित किया गया है।

2. प्रारम्भिक परीक्षा परिणाम में सफल घोषित अभ्यर्थियों द्वारा मुख्य परीक्षा हेतु परीक्षा शुल्क का भुगतान किया जाना अपेक्षित है। उक्त हेतु अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट [psc.uk.gov.in](http://psc.uk.gov.in) पर दिये गये आनलाइन आवेदन के लिंक का प्रयोग करते हुए मुख्य परीक्षा हेतु, निर्धारित अंतिम तिथि तक परीक्षा शुल्क जमा कराना सुनिश्चित करें।

3. मुख्य परीक्षा का आयोजन दिनांक 23.08.2023 से 26.08.2023 तक परीक्षा भवन उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार में आयोजित किया जाना प्रस्तावित है। मुख्य परीक्षा के शुल्क का भुगतान **Net Banking/Debit Card/Credit Card/UPI Payment** के माध्यम से जमा करने से संबंधित महत्वपूर्ण तिथियां निम्नवत हैं:-

1)	मुख्य परीक्षा हेतु परीक्षा शुल्क <b>Net Banking/Debit Card/Credit Card/UPI Payment</b> के माध्यम से जमा किये जाने की प्रारंभ तिथि-	23.06.2023 (शुक्रवार)
2)	मुख्य परीक्षा हेतु परीक्षा शुल्क <b>Net Banking/Debit Card/Credit Card/UPI Payment</b> के माध्यम से जमा किये जाने की अंतिम तिथि-	07.07.2023 (रात्रि 11:59:59 बजे तक) (शुक्रवार)

4. उक्त निर्धारित अंतिम तिथि दिनांक 07.07.2023 के पश्चात परीक्षा शुल्क जमा नहीं करने की दशा में अभ्यर्थी को मुख्य परीक्षा में सम्मिलित नहीं किया जायेगा। अंतिम तिथि के पश्चात शुल्क जमा किये जाने संबंधी किसी अनुरोध पर विचार नहीं किया जायेगा एवं विज्ञापन सं0-10/DR/E-2/Civil Judge/2022-23 दिनांक 01 मार्च, 2023 के बिन्दु सं0-32 की शर्तानुसार अभ्यर्थी का अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।

5. उत्तराखण्ड न्यायिक सेवा सिविल न्यायाधीश परीक्षा-2023 हेतु जारी विज्ञापन सं0-10/DR/E-2/Civil Judge/2022-23, दिनांक 01 मार्च, 2023 के बिन्दु सं0-17 के अनुसार मुख्य परीक्षा हेतु औपबन्धिक रूप से अर्ह अभ्यर्थी को अपनी श्रेणी/उपश्रेणी के अनुसार निम्नवत् परीक्षा शुल्क जमा करना अनिवार्य है-

क्र0 सं0 (Sr. No.)	श्रेणी (Category)	आवेदन-शुल्क (Application Fees)	प्रोसेसिंग शुल्क टैक्स सहित (Processing Fees with Tax)	कुल शुल्क (Total Fess)
01.	अनारक्षित (Unreserved)	रु0 250	रु0 22.30	रु0 272.30
02	उत्तराखण्ड आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (E.W.S.)	रु0 250	रु0 22.30	रु0 272.30
03.	उत्तराखण्ड अन्य पिछड़ा वर्ग (O.B.C.)	रु0 250	रु0 22.30	रु0 272.30
04.	उत्तराखण्ड अनुसूचित जाति (SC)	रु0 100	रु0 22.30	रु0 122.30
05.	उत्तराखण्ड अनुसूचित जनजाति (ST)	रु0 100	रु0 22.30	रु0 122.30
06.	उत्तराखण्ड राज्य में संचालित स्वैच्छिक/राजकीय गृहों में निवासरत अनाथ बच्चे (Orphan)	कोई शुल्क नहीं	कोई शुल्क नहीं	कोई शुल्क नहीं
07.	उत्तराखण्ड शारीरिक दिव्यांग (मात्र चिन्हित श्रेणी के दिव्यांग) (PWD)	कोई शुल्क नहीं	रु0 22.30	रु0 22.30

**नोट :-** उत्तराखण्ड राज्य के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित, पूर्व सैनिक, एवं उत्तराखण्ड महिला अभ्यर्थी जिस वर्ग या श्रेणी, यथा-अनारक्षित या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग या अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी का हो, उसे उसी वर्ग/श्रेणी हेतु निर्धारित शुल्क जमा करना होगा।

6. अभ्यर्थियों द्वारा इस स्तर पर अपने कोई भी अभिलेख आयोग कार्यालय में प्रेषित नहीं किये जाने हैं। मुख्य परीक्षा के उपरान्त साक्षात्कार हेतु सफल अभ्यर्थियों हेतु ऑनलाइन आवेदन-पत्र एवं शैक्षिक प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराये जाने के संबंध में पृथक से विज्ञप्ति प्रकाशित की जायेगी।

**Sd/-**  
(गिरधारी सिंह रावत)  
सचिव